# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

**पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**निर्णय**

प्रकरण सख्या : 13/2019
बउनवानः—

सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजाराम पुत्र गोपाललाल वगै0 जाति मीना निवासी भगवानपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956**

दायरा दिनांकः 04.02.2019

निर्णय दिनांक : 04.02.2019

पटवारी हल्का बोहत, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम भगवानपुरा के खसरा नं0 89 का सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2044—63 के अनुसार रकबा 6.43 है0 गै0 मु0 खाल खद्दर सिवायचक बिला लगानी दर्ज था। उक्त खसरा नं0 89 रकबा 6.43 है0 में से आवन्टन दिनांक 29.10.1988 की पालना में निम्न प्रकार गैर खातेदारी दर्ज हुयी।

| कम संख्या | आवंटित रकबा | नाम खातेदार/गैर खातेदार | गैर खातेदारी नामा0 | खातेदारी नामा0 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.40 है0 | राजाराम पुत्र गोपाललाल जाति मीना सा0 देह | 12/13.02.1992 | 288/5.11.1999 |
| 02 | 1.60 है0 | काशी चन्द्र पुत्र राजाराम जाति मीना सा0 देह | 13/13.02.1992 | 240/5.11.1999 |
| 03 | 0.96 है0 | भागचन्द पुत्र गोपाल जाति मेघवंशी सा0 देह | 55/2.12.1991 | 272/5.11.1999 |
| 04 | 0.96 है0 | गोपाल पुत्र सरवण जाति नायक सा0 देह | 56/2.12.1991 | 248/5.11.1999 |
| 05 | 2.08 है0 | हरचन्द पुत्र रतनलाल जाति मेघवाल सा0देह | 57/2.12.1991 | 309/5.11.1999 |

इस प्रकार उक्त खसरा नं0 89 में से 8.00 है0 का गैर खातेदारो के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से गांव का कुल चक 1.57 है0 बेशी हो गया है।

... ने सूची में क्रम संख्या 5 पर बिना रकबा मिलान के नामा0 नं0 57 दर्ज किया जो खसरा नं0 में शेष रकबा 0.51 है0 का दर्ज करना चाहिए था लेकिन सहवन से 2.08 है0 का दर्ज कर दिया एवं स्वीकृत भी हो गया जिससे गांव का कुल चक 1.57 है0 बेशी हो गया।

महोदय उक्त सभी गैर खातेदारो को खातेदारी भी दी जा चुकी है। साबिक खसरा नं0 66 से वर्तमन खसरा नं0 89 रकबा 6.43 है0 बना है। इसके अलावा कोई खसरा नं0 साबिक खसरा नं0 66 से नही बना है। उक्त सभी आवन्टियों का सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नं0 66 का 29.10.1988 का आवन्टन पत्र जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में खसरा नं0 89 के समीपवर्ती खसरा नं0 88 रकबा 4.20 है0 किस्म खाल खद्दर सिवायचक बिलालमानी स्थित है जिसमें से सूची के क्रम सं0 5 पर दर्ज खातेदारों को बेशी रकबा 1.57 है0 का खातेदार दर्ज किया जाकर गांव के बेशी चक को कम किया जाकर खातेदार का आवन्टित रकबा भी यथावत रखा जा सकता है।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल द्वारा मय अनुशंषा प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 04.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के समस्त सलंग्न दस्तावेजात 1– नकल जमाबंदी चालू 2. सेटलमेंट जमाबंदी 2044–63 3. नामान्तरकरण गैर खातेदारी सं0 12, 13, 55, 56, 57 4. नामान्तरकरण खातेदारी 288, 240, 272, 248, 309 मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि हरचन्द पुत्र रतनलाल जाति मेघवाल सा0देह को खसरा नं0 88 रकबा 4.20 है0 किस्म सिवायचक बिला लगानी में से रकबा 1.57 है0 का खातेदार का खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफतर होवे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सु